संचालनालय कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश

क्रमांक/डीटीए/IFMIS/डेटा माइग्रेशन/2015/ई- 2.1 भोपाल, दिनांक 16/2/2015

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष

मध्यप्रदेश ।

विषयः-समेकित वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली आई.एफ.एम.आई.एस परियोजना अंतर्गत डाटा माइग्रेशन बाबत् ।

संदर्भः-संचालनालय कोष एवं लेखा का पत्र क्र.डी.टी.ए./ आई.एफ.एम.आई.एस/2013/12: दिनांक 27.05.2013

----0----

उपरोक्त विषयांतर्गत, संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि म0प्र0 शासन वित्त विभाग के निर्देश में संचालनालय कोष एवं लेखा द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आई.एफ.एम.आई.एस का विकास किया जा रहा है । सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मूलतः तीन सब-सिस्टम, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस), मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच.आर.एम.एस. तथा पेंशन प्रबंधन सूचना (पी.एम.एस.)है । इस व्यवस्था में समस्त विभागों की ऐसी गतिविधियाँ जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करती है, को सम्मिलित किया गया है । कर्मचारियों के वेतन, वेतन-निर्धारण, एरियर,अवकाश सेवा निवृत्ति लाभ एवं पेंशन निर्धारण , सामग्री/सेवा क्रय प्रक्रिया, निर्माण कार्यो की स्वीकृति, मानीटरिंग तथा भुगतान प्रक्रिया इत्यादि को कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। आई.एफ.एम.आई.एस. का संक्षिप्त विवरण इस कार्यालय की वेबसाइट www.mptreasury.org पर उपलब्ध है ।

2. इस अनुक्रम में आपके विभाग(अधीनस्थ कार्यालय सहित) से संबंधित समस्त डाटा को भी इस परियोजना में समावेशित कर कार्यालयीन कार्य को पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत किया जाना है । इस हेतु आई.एफ.एम.आई.एस. एप्लीकेशन फार्म सॉफटवेयर के माध्यम से , जिसके अंतर्गत डाटा प्रविष्टि सीधे एप्लीकेशन फार्म पर की जावेगी ।

3. उपरोक्त कार्य सफलतापूर्वक निश्चित समयावधि में पूर्ण करने हेतु विभाग स्तर पर कार्ययोजना बनाया जाना आवश्यक है । इस अनुक्रम में अनुरोध है कि आपके विभाग से संबंधित मॉड्यूलवार मास्टर टेम्पलेट की जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार एकत्रित कर ली जावे । इस

संचालनालय द्वारा शीघ्र ही एक कार्यशाला का आयोजन किया जावेगा जिसमें डाटा माइग्रेशन के संबंध में समस्त जानकारी एवं प्रक्रिया से अवगत कराया जावेगा

4. डाटा माइग्रेशन उपरांत माइग्रेटेड डाटा का सत्यापन एवं आवश्यकतानुसार आई.एफ.एम.आई.एस में डाटा अपलोड करने का कार्य संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में किया जाना होगा,फलस्वरूप नियमित समन्वय की आवश्यकता को देखते हुए विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ वित्तीय सलाहकार/वित्तीय अधिकारी एवं आपके द्वारा नामंकित न्यूनतम एक विभागीय अधिकारी इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगें एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के स्तर पर संधारित जानकारी संबंधित कोषालयों द्वारा एकत्रित/संकलित कराई जाएगी । अतः कृपया अपने स्तर से न्यूनतम एक विभागीय अधिकारी को नामंकित करने का कष्ट करें तथा कोषालयों द्वारा चाही गई जानकारी समय पर उपलब्ध कराने, सत्यापन करने हेतु अधीनस्थ कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित करनें का कष्ट करे ।

कृपया इस कार्य को प्राथमिकता देवें ।

16.2.2015

वि.क.अ. सह आयुक्त
कोष एवं लेखा

क्रमांक/डीटीए/IFMIS/डेटा माइग्रेशन/2015/ई-22 भोपाल, दिनांक 16/2/2015

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव,म0प्र0शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल।
2. समस्त संयुक्त संचालक,कोष एवं लेखा, म.प्र. की ओर लेख है कि आप अपने संभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में उक्त प्रकिया के निर्देशन हेतु एक समिति गठित कर प्रति सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित कर कार्य की प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें ।
3. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी /कोषालय अधिकारी , जिला/नगर कोषालय, म.प्र. को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधीनस्थ समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को डेटा माइग्रेशन कार्य की प्रकिया से अवगत करातें हुए उचित मार्गदर्शन देवें साथ ही शीघ्र ही डाटा एन्ट्री कार्य पूर्ण करने हेतु अपने स्तर पर उचित कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत करायें ।

वि.क.अ. सह आयुक्त
कोष एवं लेखा